...यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

...सीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 132/2022 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1. अणसीदेवी पत्नी जगराम
2. पारूदेवी पत्नी भारमल जाति विश्नोई
निवासी छछीबेरी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. श्री राम पुत्र गोकलाराम
2. मीरादेवी पत्नी गोकलाराम
3. बाबूड़ी पत्नी हरू
4. तुलछी पत्नी सदराम
5. सुरताराम पुत्र कोशलाराम
6. निम्बाराम पुत्र कोशलाराम
7. करनाराम पुत्र कोशलाराम
8. गंगाराम पुत्र कोशलाराम
9. सोहनलाल पुत्र हरू
10.मागीलाल पुत्र हरू
11.रामेश्वरलाल पुत्र जगराम
12.लाधु पुत्र सदराम
13.ठाकराराम पुत्र सदराम
14.अणसी पुत्री जगराम
15.ओमी पुत्री जगराम
16.रामप्यारी पुत्री जगराम
17.भगवती पुत्री जगराम
18.शायन्ती पत्नी तगराम जातियान विश्नोई निवासी छछीबेरी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर
19. तहसीलदार, धनाऊ

वकील प्रार्थीगण :– श्री मोहन लाल खिलेरी

वकील विप्रार्थीगण 1 से 3 व 05 से 10 तकः–श्री बाबूलाल विश्नोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 12:12:08 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक 27.03.2023

प्रार्थीगण अणसीदेवी पत्नी जगराम वगैरा जाति विश्नोई निवासी छछीबेरी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा छछीबेरी पटवार हल्का भूणिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूणिया तहसील धनाऊ के खसरा सं. 921/850 रकबा 11.8654 हैक्टेयर किस्म बा.सों भूमि का आया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। तथा अपने रहवासी हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणियां पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 के खातेदारी के खेत मौजा छछीबेरी पटवार हल्का भूणिया भू.अभि. नि. भूणिया तहसील धनाऊ में खेत खसरा संख्या 845 रकबा 7.7700 हैक्टेयर एवं 839 रकबा 2.8895 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में चल कर डामर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करते आ रहे है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करते आ रहे है तथा एक मात्र रास्ता है। काश्त के समय प्रार्थीगण अपनी जोत मौजा छछीबेरी पटवार हल्का भूणिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूणिया तहसील धनाऊ में खेत खसरा संख्या 921/850 रकबा 11. 8654 हैक्टेयर किस्म बा.सो. के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेतें जिसमें प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने के लिए बाधित हो जाते है। एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी के नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी.तामिलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं 05 से 10 की ओर से अधिवक्ता बाबुलाल विश्नोई ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया शेष के नोटीस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार धनाऊ को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। विप्रार्थीगण 1 से 3 व 05 से 10 के वकील उपस्थित विप्रार्थीगण के वकील का जबाव निम्नानुसार है ... मौजा छछीबेरी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 12:12:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

खसरा सं. 839 व 845 में से क्रमशः 0.1214 व 0.2185 हैक्ट. भूमि नवीन प्रस्तावित रास्ते जा रही है जिसे हम विप्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु अपने हिस्से में से निशुल्क देने को तत्पर है तथा नवीन रास्तें की भूमि भी शेष विप्रार्थीगण के हिस्से को बदस्तुर रखते हुए हम विप्रार्थीगण के हिस्से में कम करते हुए दे दी जावें जिस हेतु हम विप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 से 10 सहमत है। तथा नवीन रास्ते में से प्रस्तावित भूमि को हमारे हिस्से से कम करके शेष भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने हेतु हम सहमत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हम विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व 5 से 10 के हिस्से में से सम्पूर्ण नवीन रास्ते की भूमि काटते हुए बगैर प्रतिफल निशुल्क देते हेतु रास्ते का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो विप्रार्थी संख्या 01 से 03 एवं 05 से 10 को कोई अज्र एतराज नही है।

तहसीलदार धनाऊ से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को छछीबेरी के खसरा संख्या 921/850 से सरकारी कटान रास्ता /सड़क तक पहुचने के लिए ग्राम छछीबेरी के खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 839 व 845 तथा समर्पित भूमि के खसरा नम्बर 931/844 व 929/848 में से होकर गुजरना पड़ता है इसके सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है। ग्राम छछीबेरी के खसरा नम्बर 921/850 से सरकारी कटान रास्ता/सड़क तक पहुचने के लिए निम्नानुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिसे संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाया गया है। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गंगाराम वगैरा कौम विश्नोई सा.देह	839	2.8895	25 फीट	0.1224	छछीबेरी	169319/– (02.02X 40314 X2=169319)	बा.दो.
2.	गंगाराम वगैरा कौम विश्नोई सा.देह	845	7.7700	25 फीट	0.2185			बा.दो.
3	समर्पण भूमि (राजस्थान सरकार)	931/844	0.2752	सम्पूर्ण	0.2752		—	बा.दो.
		929/848	0.1619	सम्पूर्ण	0.1618			बा.सो.

प्रस्तावित खसरा नम्बर 839 व 845 की डीएलसी दर 40314/–प्रति बीघा है। खसरा नम्बर 931/844 व 929/848 खातेदारान् द्वारा रास्ते के लिए समर्पण करवाया गया है और वर्तमान में रास्ते के उपयोग में आ रही है। अतः किसम में रास्ता परिवर्तन अपेक्षित है। प्रस्तावित अनुसार रास्ता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 12:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का ...यन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गंगाराम वगैरा कौम विश्नोई सा. देह	839	2.8895	25 फीट	0.1224	छछीबेरी	169319/- (02.02X 40314 X2=169319)	बा.दो.
2.	गंगाराम वगैरा कौम विश्नोई सा. देह	845	7.7700	25 फीट	0.2185			बा.दो.
3	समर्पण भूमि (राजस्थान सरकार)	931/844	0.2752	सम्पूर्ण	0.2752		-	बा.दो.
		929/848	0.1619	सम्पूर्ण	0.1618			बा.सो.

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 25.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट ... नक्शा निर्णय का अनिवार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 12:12:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :-

1. तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी) 1 से 3 तथा 5 से 10 को निशुल्क शेष को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएससी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार धनाऊ को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं के द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 25 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 27.03.202 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 एवं 5 से 10 का जवाब अनिवार्य अंग रहेंगे। तहसीलदार धनाऊ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावें। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 12:12:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2023/548 दिनांक :- 29/3/23

प्रेषित :- तहसीलदार धनाऊ

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 132/2022 अनवान अणसीदेवी बनाम श्रीराम वगैरा अन्तर्गत राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के निर्णित निर्णय के मार्गदर्शन बाबत।

प्रसंग आपके पत्र कमांक भू.अ./वाद/2023/624 दिनांक 29.03.2023 के संर्दभ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय के राजस्व आवेदन सं. 132/2022 अनवान अणसीदेवी बनाम श्रीराम वगैरा अर्न्तत राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में निर्णत निर्णय के शर्तो में वर्णित बिन्दु संख्या 4 व 5 में प्रस्तावित रास्ता क्रमश 20 फीट एवं 25 फीट लिपीकीय त्रुटी होने के कारण नये प्रस्तावित रास्ता को 25 फीट माना जाये तथा शर्तो की पालना में बिन्दु संख्या 2 में विप्राथी 1 से 3 तथा 5 से 08 के हिस्से की भूमि में से सम्पूर्ण नवीन रास्ते में प्रस्तावित भूमि को निशुल्क नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि इनके हिस्से से कम करते हुए ली जावे। शेष विप्रार्थीगण का हिस्से को बदस्तुर रखा जावें

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 12:12:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner